

06<sup>S</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेशा हुई। पार्थी स्वयं अथवा उनके  
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अत्रान के अनुसार  
3 बार आवर्जें लगाई जाने के बावजूद पार्थी  
व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली  
अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज की  
जाती हैं। पत्रावली फंसल शुमार लेकर नंबर  
से कम हो।

3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, वाली